

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 479 सन 2020/ऑन लाईन नम्बर:-2020/875

अनवान :-

1. सुरेन्द्रपाल वैनिवाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजेश पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. विकाश कुमार पुत्र रमेशचन्द्र जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र नारायण जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
2. जगदीश पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
3. राजकुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
4. माया पुत्री राजकुमार जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
5. रमेशचन्द्र पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
6. सुमित्रा पुत्री रमेशचन्द्र जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
7. शारदा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिंह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 03/11/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 243/233 की कुल 22.6030 हैक् से 1/3 हिस्सा यानी 7.534 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नारायण पुत्र हरपत के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नारायण पुत्र हरपत के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नारायण पुत्र हरपत के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ,6 ,7 वादीगण की बहने प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 1 ,2 का पिता , प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादीगण के पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 बहिव के खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता नारायण पुत्र हरपत के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ,7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहनी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोंकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 243/233 की कुल 22.6030 हैक् से 1/3 हिस्सा यानी 7.534 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नारायण पुत्र हरपत के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नारायण पुत्र हरपत के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नारायण पुत्र हरपत के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ,6 ,7 वादीगण की बहने प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 1 ,2 का पिता , प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादीगण के पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोंकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

  
उपरी अधिकारी  
बोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 243/233 की कुल 22.6030 हैक् से 1/3 हिस्सा यानी 7.534 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


जगाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि नारायण पुत्र हरपत के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नारायण पुत्र हरपत के नाम से दर्ज है वादी के दादा नारायण पुत्र हरपत के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 6, 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 6, 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य राबूत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 6, 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य राबूतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 243/233 की कुल 22.6030 हैक् में से 1/3 हिस्सा यानी 7.534 हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या अकेला 2.510 हैक् वादी संख्या 2 अकेला 1.508 हैक्, वादी संख्या 3 अकेला 1.265 हैक् वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 5 दोनो बहिब 2.260 हैक् यानी प्रत्येक 1.130 हैक् भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकगीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसाल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीय तकगील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 03/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (झुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनुवाक :-

1. सुरेन्द्रपाल बैनिवाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजेश पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. पिकाश कुमार पुत्र रमेशचन्द्र जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र नारायण जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
2. जगदीश पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
3. राजकुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
4. गाथा पुत्री राजकुमार जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
5. रमेशचन्द्र पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
6. सुमित्रा पुत्री रमेशचन्द्र जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
7. शारदा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 479 सन 2020 निर्णय दिनांक-03/11/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 243/233 की कुल 22.6030 हैक में से 1/3 हिस्सा यानि 7.534 हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या अकेला 2.510 हैक वादी संख्या 2 अकेला 1.508 हैक, वादी संख्या 3 अकेला 1.265 हैक वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 5 दोनो बहिव 2.260 हैक यानि प्रत्येक 1.130 हैक भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के रालग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )